न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) सांचोर

पीठासीन अधिकारी — श्री मुरारीलाल शर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 243/2014

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1 लक्ष्मण पुत्र सरदाराजी 2 शान्ति पुत्र सरदाराजी जातियान दरोगा निवासीगण पुर तहसील सांचोर जिला जालोर		1— हजारी पुत्र माना 2— छोगा पुत्र माना के कायम मुकाम एव उत्तराधिकारीगण ए— मदा पुत्र छोगा 3— मफा पुत्र समरथा 4— पांचा पुत्र समरथा 5— गणपत पुत्र समरथा 6— श्रवण पुत्र समरथा 7— गमु पुत्र उदा 8— हकमा पुत्र उदा 9— भवा पुत्र उदा कौम दरोगा साकिनान पुर तहसील सांचोर जिला जालोर 10— दानाराम पुत्र मगाराम जाति कलबी निवासी धानता तहसील सांचोर जिला जालोर 11— तहसीलदार साहब सांचोर

दावा बाबत् इस्तकरारहक अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति
1— वादीगण वकील श्री भीमाराम चौधरी
2— प्रतिवादी स0 1 एव 3 ता 10 की ओर वकील श्री मगारा [illegible]
3— प्रतिवादी स0 2 (ए) की ओर से वकील [illegible]
4— प्रतिवादी संख्या 11 राज पेरोकार जरिये [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.05.30 17:23:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचोर (जालोर)

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है कि ग्राम पुर के खेत खसरा नम्बर 1027 रकबा 3.50 हैक्टर, 1028 रकबा 3.50 हैक्टर एव 1029 रकबा 3.73 हैक्टर भूमि में मफा, पांचा, गणपत, श्रवण पि0 सरदारा जाति दरोगा 1/3 हिस्से के स्थान पर लक्ष्मण पुत्र सरदारा, शांति पुत्री सरदारा जातियान दरोगा निवासी पुर को खातेदार घोषित किया जाता है। इस आशय की तहरीर तहसीलदार सांचोर के नाम जारी की जावे। पक्षकार अपना–अपना खर्चा वहन करे।

मौजा पुर मुवलिंग –.बाबत्– खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह –फीसदी – सालान आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक–की अदा कर।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 16–11–2017 को जारी की गई।

मोहर

16-11-17

(मुरारीलाल शर्मा)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
सांचोर

मुदई	रूपया	पै0	मुद्दायलाह	रूपया	पै0
स्टाम्प अरजीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	2	00
स्टाम्प वकालातनामा	2	00	स्टाम्प अर्जी	0	
स्टाम्प वजह सबूय			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरीक		
मुतफरिक					
मौजाना	4	00	मौजाना	2	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर की फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं, दर्ज किया जावे।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक (फास्ट ट्रेक) सांचोर जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.05.30 17:23:39 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक 16–11–2017

1– यह है कि वादीगण द्वारा पेश वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हम वादीगण दोनो सगे भाई है। तथा एक–दूसरे की पैरोकारी मजूर है। हम वादीगण सरदारा पुत्र हरजी के जायज वारिसान एव उत्तराधिकारी है। हम वादीगण के पिता सरदारा पुत्र हरजी तीन वर्ष पूर्व फौत हो चुके है। वाके सरहद मौजा पुर के खेत खसरा नम्बर 1027 रकबा 3.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 1028 रकबा 3.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 1029 रकबा 3.73 हैक्टर जुमले रकबा 10.73 हैक्टर भूमि आयी हुई है। उपरोक्त खसरा नम्बरान में 1/3 हिस्सा हम वादीगण के स्वर्गीय पिता सरदारा पुत्र हरजी का आया हुआ था। उनके फौत होने पर हम उनके जायज वारिसान एवं उत्तराधिकारी होने से 1/3 हिस्सा हम वादीगण के नाम दर्ज होना चाहिए। हम वादीगण के पिताजी सरदारा पुत्र हरजी करीबन तीन वर्ष पूर्व फौत हो चुके है तथा समरथा पुत्र माना करीबन 15 वर्ष पूर्व फौत हो चुके है। प्रतिवादीगण संख्या 3, 4, 5, 6 पांचा, मफा, गणपत, श्रवण चारो ही समरथा पुत्र माना के जायज वारिसान एव उत्तराधिकारी है। समरथा पुत्र माना के फौत होने पर राजस्व अधिकारियों ने राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करते वक्त लापरवाही से सरदारा पुत्र हरजी के फौत बताकर समरथा पुत्र माना के उत्तराधिकारी प्रतिवादीगण संख्या 3, 4, 5, 6 के नाम से इन्द्राज कर दिया तथा राजस्व कर्मचारियों ने समरथा पुत्र माना के फौतेदगी का इन्द्राज करते वक्त मफा, पांचा, गणपत, श्रवण पि0 समरथा के नाम से किया जबकि समरथा पुत्र माना के जायज वारिसान एवं उत्तराधिकारी मफा, पांचा, गणपत, श्रवण है तथा सरदारा पुत्र हरजी के जायज वारिसान एव उत्तराधिकारी हम वादीगण लक्ष्मण तथा शांति है। हमारे अलावा अन्य कोई नहीं है।

2– उक्त वाद दिनांक 8–9–2011 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किये गये। दिनांक 27–9–2011 को प्रतिवादी संख्या 3 से 9 की ओर से व[illegible] को वकालातनामा व ईकबाली जवाब पेश किया। दिनांक 28-[illegible] को प्रतिवादी संख्या 1 व 10 की ओर से ईकबाली जवाब [illegible] दिनांक 1–1–2015 को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय [illegible] के आदेश कमांक 445–57 दिनांक 2–6–2014 की पालना में पत्रावली सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) सांचोर के न्यायालय में स्थानान्तरण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.05.30 17:23:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचोर (जालोर)

गई। दिनांक 16—12—2015 को प्रतिवादी संख्या 2(ए) की ओर से वकील श्री प्रवीणसिंह ने वकालातनामा पेश किया।

3 उक्त प्रकरण में राज पेरोकार नायब तहसीलदार सांचोर प्रतिवादी संख्या 11 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि वाद में प्रतिवादी से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। वादी के वाद का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जाता है तो सरकार के हितो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा।

4— उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

5— उक्त पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का अध्ययन व अवलोकन मेरे द्वारा किया गया। वादीगण द्वारा पेश जमाबंदी संवत् 2063—66 के खाता संख्या 139 के खेत खसरा नम्बर 1027 रकबा 3.50 हैक्टर, 1028 रकबा 3.50 हैक्टर जुमले रकबा 7.00 हैक्टर भूमि में छोगा, हंजारी पि0 माना, मफा, पांचा, गणपत, श्रवण पि0 समरथा का 1/3 हिस्सा, मफा, पांचा, गणपत, श्रवण पि0 सरदारा का 1/3 हिस्सा, गमु, हकमा, भवा पि0 उदा 1/3 हिस्सा जाति दरोगा साकिनदेह खातेदार है। इसी प्रकार जमाबंदी संवत् 2063—66 के खाता संख्या 138 में छोगा, हंजारी पि0 माना, मफा, पांचा, गणपत, श्रवण पि0 समरथा का 1/3 हिस्सा, मफा, पांचा, गणपत, श्रवण पि0 सरदारा का 1/3 हिस्सा, गमु, हकमा 0.17 हैक्टर, भवा 0.42 हैक्टर पि0 उदा जाति दरोगा साकिनदेह, दानाराम पि0 मगाराम हिस्सा 0.65 हैक्टर कौम कलबी साकिन धानता 1/3 खातेदार है। इस प्रकार मफा, पांचा, गणपत, श्रवण की वल्दीयत, समरथा व सरदारा दोनो मे 1/3 — 1/3 हिस्से की उक्त जमाबंदी अनुसार आयी हुई है। वादीगण ने अपने वाद में बताया है कि वादीगण लक्ष्मण व शांति सरदारा के वास्तविक उत्तराधिकारी है तथा मफा, पांचा, गणपत, श्रवण समरथा के वास्तविक उत्तराधिकारी है। इस प्रकार उक्त जमाबदी में सरदारा के वारिस मफा, पांचा, गणपत, श्रवण का 1/3 हिस्से के स्थान पर वादीगण लक्ष्मण, शांति पि0 सरदारा की घोषणा बाबत वाद पेश किया है। जिसके समर्थन में प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 मफा, पांचा, गणपत, श्रवण पि0 समरथा ने वादी के वाद का समर्थन करते हुए ईकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण का वाद माफिक इस्तदुआ के स्वीकार कर डिक्री की जाती है तो हमे प्रति[illegible] कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 ता [illegible] को स्वीकार किया है कि वे समरथा के [illegible] जमाबंदीयों में मफा, पांचा, गणपत, श्रवण पि0 सरदारा का 1/3 हिस्सा गलत दर्ज है तथा उसके स्थान पर वादीगण का नाम इन्द्[illegible] किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नहीं है बाबत जवाब के रूप में स्वीकृति

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.05.30 17:23:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव कायपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचौर (जालोर)

दी है। अन्य सहखातेदारो ने भी वादी के वाद का समर्थन किया है तथा प्रतिवादी संख्या 11 राज पेरोकार ने भी अपने जवाब में बताया है कि वादी ने प्रतिवादी से कोई अनुतोष नहीं चाहा है तथा वाद का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जाता है तो सरकार के हितो पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। इस प्रकार तमाम प्रतिवादीगण ने वादीगण के वाद का समर्थन किया है। इस प्रकार उपरोक्त जमाबंदीयों में प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5, 6 मफा, पांचा, गणपत, श्रवण की वल्दीयत सरदारा एवं समरथा 1/3 – 1/3 हिस्से में दर्ज है जो उपरोक्तानुसार गलत है। इस प्रकार वादीगण लक्ष्मण व शांति सरदारा के उत्तराधिकारी है साबित करने में पूरी तरह से सफल होने से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है कि ग्राम पुर के खेत खसरा नम्बर 1027 रकबा 3.50 हैक्टर, 1028 रकबा 3.50 हैक्टर एवं 1029 रकबा 3.73 हैक्टर भूमि में मफा, पांचा, गणपत, श्रवण पि0 सरदारा जाति दरोगा 1/3 हिस्से के स्थान पर लक्ष्मण पुत्र सरदारा, शांति पुत्री सरदारा जातियान दरोगा निवासी पुर को खातेदार घोषित किया जाता है। इस आशय की तहरीर तहसीलदार सांचोर के नाम जारी की जावे। पक्षकार अपना–अपना खर्चा वहन करे। तदनुसार डिकी पर्चा जारी हो।

16-11-17
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचोर (जालोर)
(मुरारीलाल शर्मा)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
सांचोर

निर्णय आज दिनांक 16–11–2017 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

16-11-17
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचोर (जालोर)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
सांचोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod
Date: 2024.05.30 17:23:39
Reason: SelfAttested